Reg No 177/2008-2009 ISSN: 2322–0317

PSSH PERSPECTIVE of SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

An International Multidisciplinary Refereed Research Journal

VOL 2, NO 2

JULY - DECEMBER 201

Biannual

Editor

Dr Hemant Kumar Singh

Assistant Professor

Economics Department

Madan Mohan Malviya PG College

Deoria (UP)

Publisher

Herambh Welfare Society

Varanasi (India)

महिला सशक्तीकरणः सुरक्षा एवं जागरूकता

डॉ० सुनीता गुप्ता[1]

महिलाओं के सशक्तीकरण का उद्देश्य है स्त्री–पुरूषों के बीच शक्ति के संतुलन में परिवर्तन करना ताकि समाज में अधिक शक्ति का साम्यिक वितरण किया जा सके परन्तु जब हम महिलाओं के सशक्तीकरण के इस समग्र प्रक्रिया की जाँच करते है तो हमें प्रक्रिया के आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक एवं कानूनी आयामों के विषय में जानकारी होती है। ये सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह चिन्ता का विषय है कि क्या महिलाओं का सशक्तीकरण, पुरूषों के विरूद्ध किया जा रहा है। यह आशंका सच नहीं है कि महिला सशक्तीकरण पुरूषों के हितों के खिलाफ होगा और यह पुरूषों को शक्तिहीन बना देगा। **महिलाओं का सशक्तीकरण पितृसत्ता एवं इनके नियंत्रणों के विरूद्ध है न कि पुरूषों के।**

महिलाओं के अधिक सशक्तीकरण का उद्देश्य है– पुरूष एवं महिला दोनों का समग्र विकास। जब महिलाओं को अतीत की बेड़ियों और यौन भूमिकाओं से मुक्ति मिल जायेगी तो पुरूष भी अपनी परम्परागत भूमिकाओं और व्यवहार सम्बन्धी प्रतिमानों के बन्धन से मुक्त हो जायेंगे।

महिलाओं के स्वयं अपने बारे में में जो विचार बने हुए है, उनको बदलना होगा। उनके आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होनी चाहिए। उन्हें अपनी सामर्थ्य एवं ताकत को पहचानना व समझना चाहिए ताकि वे और आत्मनिर्भर बन सकें। उन्हें स्वयं को महत्व देने का प्रयास करना चाहिए और अपने ज्ञान एवं कौशलों को पहचानना एवं महत्व देना चाहिए। घर–परिवार और समाज को संपोषित करने में समाज को भी उनके योगदान को समझना चाहिए, जो कि उनके मानवाधिकार भी है।

समाज के दो पहियों में से एक पहिया नारी है, अतः उसे भी उतना ही सबल और सुयोग्य होना चाहिए, जितना पुरूष है। यही सबलता और सुयोग्यता महिला सशक्तीकरण की असली पहचान है। सशक्तीकरण एक मानसिक अवस्था है, जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। इनमें प्रमुख है–

1. निर्भरता जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना आवश्यक है।

[1] असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, आर0एस0के0डी0पी0जी0 कालेज, जौनपुर

2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमरतोड़ मेहनत से मुक्ति।
3. आर्थिक निर्भरता व उत्पादन क्षमता।
4. देशाटन की सुविधा।
5. निर्णय का अधिकार।
6. सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरूषों के साथ बराबरी का हक।
7. ऐसी शिक्षा जो महिलाओं को उपरोक्त बातों के लिए तैयार करें।

वस्तुतः भारत का सामाजिक ढाँचा ही महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक भूमिकाओं का निर्धारण करता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आज अमेरिका सहित विश्व का कोई भी राष्ट्र यह दावा कर पाने में सर्वथा असमर्थ है कि उसके यहाँ किसी भी रूप में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं किया जाता। वर्तमान में महिला तृतीय विश्व की भाँति है , जहाँ उसके अधिकार सीमित एवं कर्तव्य असीमित हैं।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि जाति, धर्म, अथवा लिंग के आधार पर यहाँ के नागरिकों के मध्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा। सामाजिक समानता के अधिकार को सभी स्त्री–पुरूषों के मौलिक अधिकारों में से एक माना गया। इसके बावजूद भारत में आज भी जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, जिसमें स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हों। यही भारतीय स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना है।

कानून के द्वारा यद्यपि स्त्री एवं पुरूषों को समान अधिकार दिए गये हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ऐसे सभी अधिकार अर्थहीन हैं। समाज में जो निर्णय लिए जाते हैं, उनमें स्त्रियों की इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता। कोई भी स्त्री चाहे जितनी कार्यकुशल क्यों न हो, उससे यह आशा की जाती है कि वह अपना सम्पूर्ण समय बच्चों के पालन पोषण और घरेलू कार्य में ही व्यतीत करें

। अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक समस्यायें है, वे निम्नवत् हैं– स्त्रियों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, पर्दाप्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा व बलात्कार इत्यादि।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा हमेशा से होती रही है, लेकिन अब इस इतिहास को बदलना आवश्यक है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, साथ ही समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल भी बढ़ा है। सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाया है, लेकिन इसकी अपनी सीमायें है। समस्या लैंगिक संवेदनशीलता की है। जब तक महिलाओं को बराबर की सहयोगी के रूप में नहीं देखा जाएगा तब तक कोई कानून प्रभावी नहीं हो सकता। लेकिन लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्य करने के लिए न तो सरकार के पास समय है और न ही नियोक्ताओं के पास इस बारें में कोई योजना। वे रोजगार के अवसरों में समानता दिखाने के लिए महिलाओं की भर्ती तो करते हैं, लेकिन उनके पास यौन उत्पीड़न से निबटने के लिए कोई कारगार योजना नहीं

है, यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता कि कार्यस्थलों के यौन–उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में कुछ भी सोचना बेमानी है।

एचटी–जीएफ के हालिया सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि महिलाओं में समाज और व्यवस्था को लेकर गहरा अविश्वास है। सर्वे में 46% महिलाओं ने कहा कि महिलाओं को हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। 64% दूसरे लोग जो यौन उत्पीड़न की घटना के गवाह थे, उनके अनुसार वे मदद के लिए इसलिए सामने नहीं आये, क्योकि उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरे लोग अथवा पुलिस–प्रशासन उनका सहयोग करेंगें। समाजशास्त्री राधिका चोपड़ा कहती हैं कि शहर की अपनी संस्कृति खत्म होने के कगार पर है। इसकी वजह से लैंगिक असंवेदनशीलता आयी है। सामाजिक कार्यकर्ता व महिला सशक्तीकरण मिशन की सदस्य रंजना कुमारी लिखती हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षो में महिलाओं के प्रति अपराधों का सिलसिला बढ़ा है, जिसके लिए शासन व्यवस्था एवं समाज दोनों उत्तरदायी है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता है। सरकार ने बड़ा कानून बनाया है, साथ ही कानून लागू करने वाली एजेंसियों का रवैया भी थोड़ा बदला है, लेकिन यह भी सच है कि निर्भया काण्ड (16 दिसम्बर 2012) में भले ही त्वरित न्याय मिल गया हो, पर उसी समय या उससे काफी पहले के हजारों मामले अदालतों में अब भी लंबित पड़े है। जब तक त्वरित न्याय सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तब तक अपराधियों के हौसले पस्त नहीं होंगे। सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं के प्रति पुरूषों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है। जब तक मानसिकता नहीं बदलती तब तक अपराध नहीं थमेंगें।

समाज सिर्फ पुलिस एवं कानून के भरोसे नहीं बदला जा सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव के रवैये को खत्म करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए हर जिले में महिला थाना बनाने की बात काफी दिनों से चल रही है। इसके अलावा पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती पर विशेष जोर देना चाहिए।

लम्बे संघर्ष के पश्चात भारतीय महिलाओं ने समाज में अपना कुछ स्थान बनाने में सफलता अर्जित की है। महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं, किन्तु इन परिवर्तनों की गति काफी धीमी है। महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रश्न ही सामाजिक न्याय लोकतंत्र एवं सामाजिक विकास के दर्शन पर आधारित है।

निश्चित रूप से आर्थिक स्वालम्बन शिक्षा सुरक्षा से सामाजिक स्तर उपर उठता है, जिसके लिए हमें परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालय के स्तर से ही लड़कों को इस तरह शिक्षित करना चाहिए कि वे महिलाओं का सम्मान करना सीखें, तभी लैंगिक असमानता की समस्या दूर होगी तथा महिला सशक्तीकरण की तस्वीर उभर कर समाज के सामने

आयेगी। **सिमोन इ बुआ** ने अपनी विश्वप्रसिद्ध पुस्तक में दर्शनशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और मानवशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर यह स्थापित किया कि स्त्रियों का दमन इतिहास और संस्कृति की उपज है और इसे प्राकृतिक नहीं समझा जा सकता। उनका कहना है कि– **"औरत (अपनी कमजोरियों के लिए जानी वाली औरत) पैदा नहीं होती वरन् बना दी जाती है।"**

संदर्भ सूची

- माथुर, वाई.बी. (1973)– "वीमन्स एजुकेशन इन इंडिया", न्यू डेल्ही एशिया पब्लिशिंग हाउस–न्यू डेल्ही
- मेहता, हंसा (1981)– "इंडियन वुमन", बुटाला ऐंड कम्पनी, दिल्ली
- तिवारी, इति– "नारी समाज और आधुनिकीकरण", किताब महल डिस्ट्रीब्यूटर्स, 28 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली
- गुप्ता, सुनीता (2013)– "स्नातक स्तर की मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम की महिला सशक्तीकरण जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार नियोजन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन" (शोध प्रबन्ध)
- हिन्दुस्तान– दैनिक समाचार पत्र, 28 नवम्बर (पृष्ठ सं0 13), 5 दिसम्बर (पृष्ठ सं0 11), 17 दिसम्बर 2013 (पृष्ठ सं0 10)
- काशीवार्ता– दैनिक समाचार पत्र– (पृष्ठ सं0 6)
- India Today, 02 March 2011
- Youth Veerangnayen.org
- www.web.nic.in/empowerment.htm visited on (13.12.2013)
- www.shareyouressays.com visited on (14.12.2013)
- www.ncw.nic.in
- www.csrindia.org
- www.google.com